न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रमेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 48/2022
जीसीएमएस संख्या : 2022/109
निर्णय दिनांक : 10.10.2023

दायर दिनांक 03.06.2022

श्री आजादकृष्ण गोपाल गौशाला सेवा समिति लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू जरिये वर्तमान सचिव महावीर सिंह राठौड़ पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लालपुरा, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

................वादी

बनाम

1. आनन्द सिह पुत्र बन्ने सिह जाति राजपूत निवासी लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. इन्द्र सिंह पुत्र चिमन सिंह जाति जाति राजपूत निवासी लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
3. प्रदीप सिंह पुत्र स्व. खींव सिंह जाति राजपूत निवासी लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
4. संदीप सिंह पुत्र स्व. खींव सिंह जाति राजपूत निवासी लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
5. भान कंवर पत्नी स्व. खींव सिंह जाति राजपूत निवासी लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
6. गोविन्द सिंह पुत्र बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
7. तिलोक सिंह पुत्र बन्ने सिह जाति राजपूत निवासी लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
8. दुर्जन सिहं पुत्र चिमन सिंह जाति राजपूत निवासी लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
9. भगवन्त सिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
10. म्हावीर सिंह पुत्र बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
11. रणवीर सिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
12. सांगसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

13.मोटू सिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत निवासी लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

14.शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मलसीसर जिला चूरू राजस्थान

15.शाखा प्रबन्धक ऑरियटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

16.शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू

17.शाखा प्रबन्धक देना बैंक शाखा सालासर जिला चूरू

18.तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय सुजानगढ़ जिला चूरू

.................प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन

उपस्थित :–

1. श्री विजेन्द्रसिंह एडवोकेट वादी
2 प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05, 09,11 व 12 की ओर से श्री विरेन्द्र पारीकएड.
3. प्रतिवादी संख्या 18 पेरोकार राज
4. प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 06, 07, 08, 10, 13, 15 व 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

प्रकरण में संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 12 रकबा 6.7271 हैक्टेयर बारानी दोयम वाके रोही ग्राम लालपुरा पटवार हल्का मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है जो वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग का चला आ रहा है जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रकरण को न्यायालय में विचारण किया जाकर दिनांक 06.10.2022 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी के हिस्सा, कब्जा व मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिस पर उभयपक्ष को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

बहस अन्तिम सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया।

वकील प्रतिवादीगण ने भी विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वाद डिक्री किये जाने बाबत कोई आपत्ति जाहिर नहीं होने का अंकन आदेशिका पर किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का राजस्व रिकॉर्ड तथा तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। संलग्न जमाबन्दी संवत् 2074–2077 वाके रोही लालपुरा पटवार हल्का मलसीसर के खाता संख्या 95 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 12 तादादी 6.7271 हैक्टेयर भूमि में 2529/67271 हिस्सा को रिकॉर्डेड खातेदार है तथा तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार भी वादी वादगत भूमि में उतने ही हिस्सा पांति का काबिज काश्तकार है अर्थात् वादी का कब्जा काश्त है।

एक रेकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से पांति की भूमि का विभाजन करवा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 18 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 12 तादादी 6.7271 हैक्टेयर रोही लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव अनुसार 0.2529 हैक्टेयर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा इस निर्णय का ही भाग रहेगा। बैंक का रहन यथावत रहे। तद्नुसार परचा डिकरी जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:03 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**
व इजलास **श्री रमेश कुमार, आर.ए.एस**

आजाद कृष्णा गोपाल गोशाला बनाम आनन्दसिंह आदि
राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन
मुकदमा न0 48 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री विजेन्द्र सिंह एड. मिनजानिब मुद्दई व विरेन्द्र पारीक एड. व पैरोकार राज़ मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि :

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 18 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 12 तादादी 6.7271 हैक्टेयर रोही लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव अनुसार 0.2529 हैक्टेयर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा इस निर्णय का ही भाग रहेगा। बैंक का रहन यथावत रहे। तद्नुसार परचा डिकरी जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज .... मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 10. 2023

दस्तखत ....
ओहदा ....
उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:03 IST
Reason: SelfAttested

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।